



क्रम श्रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
19/10/23	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नारायण ठाकुर, पिता बालेश्वर ठाकुर, ग्राम-पसई, डाकघर रेवाली, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-पसई, थाना नं०-126, खाता संख्या-12, प्लॉट संख्या-2318, 2317, क्रमशः रकवा-05डी0, 04डी0 कुल रकवा-09 डी0 भूमि पुष्पा कुमारी, पिता सीताराम ठाकुर, ग्राम-चानो, डाकघर ओरिया, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र, केवाला एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वद संख्या-224/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1336/रा०, दिनांक-13.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 1153 दिनांक 13.09.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला एवं खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत गुरुदयाल हजाम हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 04.55 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-25/XII पर रकवा 10 डी0 नारायण ठाकुर एवं पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-80/VI पर रकवा 4.50 एकड़ गुरुदयाल वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2020-21 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत केवाला अनुसार स्वयं एवं खतियान अनुसार परदादा है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 01 एकड़ (लगभग) है; बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा-70 डी0 भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के दिप्पणी तारीख 3
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में नारायण ठाकुर, पिता बालेश्वर ठाकुर, ग्राम-पसई, डाकघर रेवाली, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-पसई, थाना नं0-126, खाता संख्या-12, प्लॉट संख्या-2318, 2317, क्रमशः रकवा-05डी0, 04डी0 कुल रकवा-09 डी0 भूमि पुष्पा कुमारी, पिता सीताराम ठाकुर, ग्राम-घानो, डाकघर ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: right;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	